न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कंचन राठौड़, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 288/2022
जीसीएमएस नं. :– 2022/407

—: प्रार्थीगण :—
1. दयाराम पुत्र हरीराम
2. नरपतसिंह पुत्र लाबुराम
3. रामदीन पुत्र हरीराम
जातियान जाट निवासीगण रियां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
4. पेमाराम पुत्र नारायणराम जाति माली निवासी मेड़ता जिला नागौर।
5. बाबुलाल पुत्र उदाराम जाति सुथार निवासी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
6. विरेन्द्रसिह पुत्र नरपतसिंह जाति जाट निवासी बेनण तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

—: अप्रार्थीगण :—
1. किरण शर्मा पत्नि महेशकुमार
2. गीतादेवी पत्नि सुरेशकुमार
3. वन्दना शर्मा पत्नि सुनील कुमार
जातियान ब्राह्मण निवासीगण पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
4. मोलाराम पुत्र लालाराम जाति मेघवाल निवासी रियां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर ।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

दर्ज तारीख :– 02.11.2022

उपस्थित :
श्री निर्मल कटारिया अधिवक्ता प्रार्थीगण।
श्री जेठाराम चौहान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 4 की ओर से

आदेश

दिनांक : 21.06.2023

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी सुदा कब्जासुदा भूमि ग्राम रियां पटवार हल्का रियां भू.अभि.नि. बुचकला तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में खसरा नं. 1565 रकबा 1.9335 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि जो खाता संख्या नया 600 व पुराना 413 पर इन्द्राजसुदा हैं जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त हैं तथा अपने उपयोग में उपभोग में लेते आ रहे हैं उक्त भूमि को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जाएगा। प्रार्थीगण की कृषि भूमि राजस्व नक्शे में तरमीम सुदा भूमि हैं तथा सीमांकन किया हुआ हैं। प्रार्थीगण अपनी वादग्रस्त आराजी पर शांतिपूर्ण काबिज काश्त हैं तथा प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी नक्शे में तरमीम की हुई हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि की पैमाईश दिनांक 05.05.2022 को की गई व उसी अनुसार सीमांकन किया गया हैं लेकिन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 1565 के उत्तरी माठ के चिपते ही अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 1544 स्थित हैं तथा प्रार्थीगण के खेत के दक्षिण की तरफ खसरा संख्या 1578 के आगे अप्रार्थी संख्या 4 की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 1876/1536 आई हुई हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 प्रार्थीगण की खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

1565 की दिनांक 05.05.2022 को की गई पैमाईश को नहीं मानकर प्रार्थीगण
की भूमि की उत्तरी मात की भूमि को अपने खेत खसरा संख्या 1544 में मिलाने
पर आमादा हैं तथा प्रार्थीगण की उत्तरी मात को खुर्द बुर्द कर दिया है इसी
प्रकार अप्रार्थी संख्या 4 ने भी प्रार्थीगण की दक्षिणी मात को खुर्द बुर्द कर
प्रार्थीगण का खेत खसरा संख्या 1565 की भूमि को अपने खसरे की भूमि में
मिलाने पर आमादा हैं प्रार्थीगण की पूर्वी मात वर्षो से कायम है जिसका कोई
विवाद नही हैं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 प्रार्थीगण के खेत के सीमांकन को नहीं
मान रहे हैं। तथा जोर जबरदस्ती रुप से प्रार्थीगण की उत्तरी व दक्षिणी मात
को खुर्द-बुर्द कर दिया हैं जिससे मौके पर आये दिन विवाद की संभावना बनी
रहती हैं हैं तथा लड़ाई-झगड़ा होने की संभावना है जबकि प्रार्थीगण अपनी
खातेदारी भूमि में काबिज काश्त हैं। सीमाज्ञान को लेकर हर समय अप्रार्थी
संख्या 1 से 4 लड़ाई-झगड़ा करते रहते हैं। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि
खसरा नं. 1565 की पत्थरगढी करवाना चाहते है ताकि भविष्य में किसी प्रकार
का विवाद नही हो लेकिन श्रीमान न्यायालय आदेश के बिना उक्त कानूनी
कार्यवाही संभव. नहीं है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी सुदा कब्जासुदा
तरमीमसुदा भूमि का पत्थरगढी करवाने का विधिक अधिकार प्राप्त हैं।
प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 को पत्थरगढ़ी के लिए दिनांक 15.05.2022 को
निवेदन किया गया लेकिन अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा बताया गया कि इसके लिए
वह सक्षम नहीं हैं व सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर पत्थरगढ़ी करने का
आदेश लाने की बात कही गई जिस पर उक्त प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी करने हेतु
श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थी
संख्या 5 द्वारा पत्थरगढी नहीं करने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण
उत्पन्न हुआ इसलिए प्रार्थीगण को श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
करना पड़ रहा हैं। प्रार्थीगण की इस्तदुआ इस प्रकार हैं कि :- ग्राम रियां
पटवार क्षैत्र रियां भू.अभि.नि. क्षैत्र बुचकलां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
की राजस्व सीमा में स्थित खसरा नम्बर 1565 रकबा 1.9335 हैक्टयर किस्म
बारानी चतुर्थ कृषि भूमि में अप्रार्थी सं. 5 को सीमांकन अनुसार चारों ओर
मुटाम कायम कर पत्थरगढ़ी करने का आदेश फरमाया जावें तथा अप्रार्थी सं. 1
से 4 को पाबन्द किया जावें कि वह मौके पर प्रार्थीगण की भूमि खसरानम्बर
1565 की उत्तरी व दक्षिणी तरफ की भूमि का अपने खसरा नम्बर 1544 व
1876/1536 में मिलाने की कुचेष्टा नही करें व विवाद होने पर मौके पर
जरूरत पड़ने पर पुलिस इमदाद सहित पत्थरगढ़ी करने के आदेश फरमाये जावें
व अप्रार्थी सं. 1 से 4 को पाबन्द करें कि वह और मुटाम कायम कर की गई
पत्थरगढ़ी को हटावे नहीं। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थीगण हो प्रार्थीगण के पक्ष
में अता फरमावें।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस
जारी किये। अप्रार्थी सं. 1 सें 4 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होने पर

अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं. 5 तहसीलदार पीपाड शहर फोरमल पक्षकार है। अप्रार्थी सं 4 की ओर से वकील श्री जेताराम चौहान ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी मय वकालतनामा प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी ने अनापति जाहिर की, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया । वकील अप्रार्थी सं 4 जेताराम चौहान ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण ने जो इस्तदुआ चाही व प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी नही है क्यो कि प्रार्थीगण ने जो अपने खेत खसरा नम्बर 1565 के राजस्व ट्रेस नक्शे मे अड़ोस पड़ोस के राजस्व ट्रेस नक्शा में दर्शित पड़ौस के खसरा नम्बर 1871/1568 व खसरा नम्बर 1566, 1563, 1564 के चिपते पडोसियो के खातेदारन को अप्रार्थीगण रूप में पक्षकार संयोजित नही करने से प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही हैं। क्योकि खेत खसरा नमबर 1565 के चारो तरफ के खातेदारो को पक्षकारान के नाप चौप किये बिना सही सीमाज्ञान नही हो सकता है व सही पत्थरगढ़ी नही हो सकती हैं। अतः आवश्यक पक्षकारो के अभाव एवं मौके पर पुराने धोरे एवं माठे कायम होते हुए भी सीमाज्ञान का असद्भाविक प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज फरमाने का निवेदन किया हैं।

बहस वकुलाय सुनी गयी । वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खसरा नं. 1565 रकबा 1.9335 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ की पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान करवाये जाने का मूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश फरमाया जाने का निवेदन किया है। इसी प्रकार वकील अप्रार्थी सं. 4 ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि प्रार्थीगण ने जो इस्तदुआ चाही है वो प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं क्यो कि प्रार्थीगण ने जो अपने खेत खसरा नम्बर 1565 के राजस्व ट्रेस नक्शे में अड़ोस पड़ोस के राजस्व ट्रेस नक्शा में दर्शित पड़ौस के खसरा नम्बर 1871/1568 व खसरा नम्बर 1566, 1563, 1564 के चिपते पडोसियो के खातेदारन को अप्रार्थीगण के रूप में पक्षकार संयोजित नही करने से प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही हैं। क्योकि खेत खसरा नमबर 1565 के चारो तरफ के खेत खसरान के नाप चौप किये बिना सही सीमाज्ञान नही हो सकता है व सही पत्थरगढ़ी नही हो सकती हैं। अतः आवश्यक पक्षकारो के अभाव एवं मौके पर पुराने धोरे एवं माठे कायम होते हुए भी सीमाज्ञान का असद्भाविक प्रार्थना पत्र पेश किया है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चे हर्जे के खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर यह प्रतीत होता हे कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आरजी का नापचौप करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई

जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम रियां के खसरा नम्बर [illegible] रकबा [illegible] हेक्टेयर भूमि का टीम गठित कर नापचौप एवं सीमांकन कर [illegible] से सीमा कायम करते हुए पैमाईश करवाकर पत्थरगढ़ी करावें। इस बाबत नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकीय कोष में जमा करवायेगें। तहरीर जारी हो, बाद पैमाईश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया ।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर